गुरदासपुर में भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पैदल यात्रा

विकास कार्यों में बाधा डालना चाहते हैं विपक्षी दल : गुर्जर

गुरदासपुर, 3 नवंबर (निस)

पंजाब में राजनीतिक सरगर्मियां तेज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को गुरदासपुर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पैदल यात्रा निकाली। जिला भाजपा अध्यक्ष बघेल सिंह बाहिया की अध्यक्षता में हुई इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर विशेष रूप से शामिल हुए। यात्रा के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा, देश की तरक्की और पंजाब को नशामुक्त बनाने का संदेश दिया।

यात्रा के दौरान गुर्जर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दल देश में अराजकता का माहौल बनाकर विकास की गति में बाधा डालना चाहते हैं। उनका आरोप था कि विपक्ष को देश की लगातार हो रही तरक्की रास नहीं आ रही। इसलिए वह अलग-अलग मुद्दों पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।

संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के दिल में संविधान के प्रति सम्मान नहीं है और संविधान की प्रति सिर्फ उसके हाथ में दिखाई देती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में संविधान की भावना के विपरीत कई फैसले लिए गए और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे 'वोट चोरी' के मुद्दे पर गुर्जर ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने से पहले पार्टी को अपना पुराना शासनकाल याद करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में चुनाव के दौरान बूथों और मतपेटियों पर कब्जे होते थे। कई जगह मतदाताओं को डराने-धमकाने और हिंसा की घटनाएं भी सामने आती थीं। गुर्जर ने कहा कि पंजाब को फिर से खुशहाल, सुरक्षित और विकासशील राज्य बनाने के लिए राजनीतिक बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य प्रदेश में विकास, सुरक्षा और सुशासन को प्राथमिकता देना है।



प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व अन्य।

शादी से इनकार पर छात्रा को चाकू से गोदा

गर्दन, कंधे और हाथों पर किए कई वार

लंबी (डबवाली), 3 नवंबर (निस)

शादी से इनकार करने की रंजिश में 22 वर्षीय बीएड छात्रा पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। लंबी के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर किए गए इस हमले में छात्रा की गर्दन, कंधे और हाथों पर चाकू से कई वार किए गए। आरोपी नरेश कुमार छात्रा का परिचित है और सरकारी डेयरी फार्म अबुल खुराना में तैनात है। दोनों गांव अबुल खुराना के निवासी हैं। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। घायल छात्रा क्षेत्र के एक बीएड कॉलेज में अंतिम वर्ष की विद्यार्थी है। कल दोपहर बाद टीचिंग प्रैक्टिस समाप्त कर वह अपनी चचेरी बहन के साथ कार से गांव लौट रही थी। एक निजी स्कूल के निकट आरोपी ने अपनी मोटरसाइकिल कार के आगे लगाकर उसे रोक लिया। छात्रा ने कार का शीशा नीचे कर रुकने का कारण पूछा तो आरोपी ने उसका गला पकड़कर कमीज फाड़ दी और चाकू से कई वार कर दिए। चचेरी बहन ने बचाव का प्रयास किया तो आरोपी ने उस पर भी हमला करने की कोशिश की। छात्रा के अनुसार, कुछ समय पहले पारिवारिक जरूरत के चलते उसके नाम पर डेयरी विभाग के माध्यम से बैंक से कर्ज लिया गया था। कागजी कार्रवाई के दौरान आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। कर्ज संबंधी बातचीत के दौरान दोनों के बीच व्हाट्सएप पर संदेशों का आदान-प्रदान होने लगा। बाद में आरोपी उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। शादी से स्पष्ट इनकार करने पर उसने रास्ते में घेरकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। थाना लंबी के प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया कि नरेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश जारी है।

अकाली दल के नेता रवि मोहन आप में शामिल

चंडीगढ़, 3 नवंबर (एजेंसी)

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के पूर्व नेता रवि मोहन मंगलवार को यहां आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहन का आप में स्वागत किया और इस मौके पर पार्टी नेता जगरूप सिंह सेखवां भी मौजूद थे। आप ने एक बयान में कहा कि मोहन शिरोमणि अकाली दल की ओर से दीनानगर और भोआ विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी रह चुके हैं और जमीनी स्तर पर राजनीति में सक्रिय रहे हैं। बयान के अनुसार, पंजाब में भगवंत मान सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर वह आप में शामिल हुए। सेखवां ने कहा, 'मैं रवि मोहन का आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूं। उन्हें जमीनी स्तर की राजनीति और संगठनात्मक गतिविधियों का व्यापक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि उनके अनुभव और समर्थन से गुरदासपुर में पार्टी और मजबूत होगी।'

भारत-पाक सीमा के पास खेतों में मिला हथियारों का जखीरा

फिरोजपुर, 3 नवंबर (निस)

तरनतारन जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांव माड़ी मेघा में नशे और हथियारों की खेप बरामद हुई है। खालड़ा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर खेतों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस और बीएसएफ को 1 किलो 965 ग्राम हेरोइन, चार विदेशी पिस्तौल और 50 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस के मुताबिक, खेतों में पीले रंग का एक पैकेट मिला था, जिसे ड्रोन के जरिए गिराया गया था। बरामदगी में हेरोइन के अलावा 85 ग्राम पैकिंग सामग्री, चार मैगजीन और तुर्की निर्मित चार पिस्तौल शामिल हैं।

पुलिस ने पूरी सामग्री कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना खालड़ा के प्रभारी एसआई अमरजीत सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने बीएसएफ की 115 बटालियन की बीओपी के कमांडर एलएस शर्मा और जवानों के साथ मिलकर गांव माड़ी मेघा के खेतों में तलाशी अभियान चलाया।

इस दौरान मिले पीले पैकेट से 1 किलो 965 ग्राम हेरोइन और 85 ग्राम पैकिंग सामग्री बरामद हुई। इसके साथ ही तुर्की निर्मित चार विदेशी पिस्तौल पीएक्स 5.7 टीएसएस, चार मैगजीन और 50 जिंदा कारतूस भी मिले। संयुक्त टीम ने बरामद नशीले पदार्थ और हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। एसआई अमरजीत सिंह के अनुसार, इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-सी के तहत कार्रवाई की है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत भी जांच की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हेरोइन और हथियारों का पैकेट खेतों तक कैसे पहुंचा और इसे वहां किसने छिपाया था। जांच में ड्रोन के जरिए खेप गिराए जाने से जुड़े पहलुओं और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जाएगी।

हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

सरकारी जमीन पर कब्जे नियमित करने का प्रावधान रद्द

शिमला, 3 नवंबर (हप्र)

हिमाचल प्रदेश में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने का रास्ता अब पूरी तरह बंद हो गया है। प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम में वर्ष 2002 में शामिल की गई धारा 163-ए को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है। इस प्रावधान के तहत सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को नियमित करने की व्यवस्था की गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस प्रावधान को मनमाना बताते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार के अनुरूप नहीं है। अदालत के इस निर्णय से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को वैध बनाने का कानूनी आधार समाप्त हो गया है।

प्रदेश के महाधिवक्ता अनूप रतन ने फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को संरक्षण देना कानून का उल्लंघन करने वालों को पुरस्कृत करने जैसा है। उन्होंने कहा कि जो लोग कानून का पालन करते हुए अपनी जमीन पर कारोबार करते हैं और मेहनत से परिवार का पालन-पोषण करते हैं, उनके हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। अनूप रतन ने कहा कि एक तरफ ऐसे नागरिक हैं, जो सभी नियमों का पालन कर अपनी आजीविका चलाते हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को नियमितीकरण के जरिए राहत देने का प्रावधान था। यह व्यवस्था समानता के मूल सिद्धांत के विपरीत थी। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करने वाले नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना जरूरी है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को नियमित करने की व्यवस्था किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराई जा सकती।

महिला से मिली थी चरस, सात साल के कठोर कारावास की सजा

बीबीएन, 3 नवंबर (निस)

बद्दी में चरस तस्करी के मामले में विशेष अदालत ने एक महिला को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी नालागढ़ संदीप शर्मा ने तथ्यों की जानकारी देते हुए बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट पंकज गुप्ता की अदालत ने आज सरकार बनाम स्वपन मंडल मामले में यह फैसला सुनाया। दोषी स्वपन मंडल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा क्षेत्र की निवासी है।

उन्होंने बताया कि 12 अगस्त 2018 को बद्दी पुलिस की एसआईयू टीम निरीक्षक लखबीर सिंह के नेतृत्व में गश्त पर थी। शाम को पुलिस टीम बद्दी बस स्टैंड से सीएचसी बद्दी जाने वाली सड़क पर मौजूद थी। इसी दौरान बस स्टैंड की तरफ से काले रंग का बैग लेकर आ रही एक महिला पुलिस टीम को देखकर घबरा गई और वापस मुड़ने लगी। शक होने पर पुलिस ने उसे दो स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में रोककर बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग से नीले रंग के पॉलीथिन लिफाफे में रखे 13 जिप पाउच बरामद हुए। इनमें चरस पाई गई, जिसका कुल वजन 500 ग्राम था। जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत में पहुंचा। अदालत ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर महिला को दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

धर्मशाला में हिंदी-पंजाबी मुहावरा कोश कार्यशाला शुरू

समराला, 3 नवंबर (निस)

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के पंजाबी एवं डोगरी विभाग तथा हिंदी एवं भारतीय भाषा विभाग द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के पूर्वोत्तर शिक्षण सामग्री निर्माण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी-पंजाबी मुहावरा कोश निर्माण संबंधी पांच दिवसीय तृतीय कार्यशाला का आगाज़ हुआ। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य हिंदी एवं पंजाबी भाषाओं के मुहावरों का संकलन, विश्लेषण एवं तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हिंदी-पंजाबी मुहावरा कोश के निर्माण की दिशा में कार्य करना है। इस कार्यशाला के माध्यम से दोनों भाषाओं के मुहावरों की भाषाई संरचना, अर्थ, प्रयोग तथा सांस्कृतिक संदर्भों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाबी के मूर्धन्य विद्वान प्रो. गुरुभजन सिंह गिल ने बताया कि इससे पूर्व हिंदी-पंजाबी मुहावरा कोश निर्माण संबंधी केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा तथा पंजाबी विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला में दो कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है। वर्तमान कार्यशाला इसी शृंखला की तृतीय कार्यशाला है।


बैठक में उपस्थित हिंदी- पंजाबी मुहावरा कोश की निर्माण समिति के सदस्य।

कार्यशाला के संरक्षक हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल तथा अध्यक्ष कुलाधिपति पद्मश्री प्रो. हरमोहिंदर सिंह बेदी हैं। कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में प्रो. सुखदेव सिंह मिन्हास, प्रो. डॉ. रजनी, हिंदी विभागाध्यक्ष पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला तथा डॉ. धर्मपाल साहिल एवं प्रो. नरेश कुमार, विभागाध्यक्ष, पंजाबी एवं डोगरी विभाग तथा डॉ. मलकीयत सिंह, हिंदी एवं भारतीय भाषा विभाग शामिल हैं। इस अवसर पर कुलपति प्रो. डॉ. सत प्रकाश बंसल ने कहा कि हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाएं अपनी समृद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जानी जाती हैं। दोनों भाषाओं में प्रचलित मुहावरे जनजीवन, लोक-अनुभव, सामाजिक चेतना तथा सांस्कृतिक मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति हैं।

विकास कार्यों के लिए खोला ग्रांटों का पिटारा

जालंधर, 3 नवंबर (निस)

जालंधर में विकास कार्यों को गति देने के लिए प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन अमृतपाल सिंह की ओर से एक साथ 10 विकास ग्रांटें जारी की गई हैं। शहर के अलग-अलग विधानसभा हलकों के वार्डों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास कार्यों के लिए जारी की गई इन ग्रांटों के माध्यम से सड़क निर्माण, बिजली व्यवस्था को मजबूत करने और स्वास्थ्य एवं फिटनेस सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। अमृतपाल सिंह की ओर से जारी इन ग्रांटों में सड़क निर्माण के लिए विशेष राशि रखी गई है। जमशेर रोड के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को 10 लाख रुपये दिए गए हैं। वहीं गांव अलीपुर में सड़कों के निर्माण के लिए 6.50 लाख रुपये की ग्रांट मंजूर की गई है।

शहर की बिजली व्यवस्था को लेकर भी कई वार्डों को ग्रांट दी गई है। जालंधर नॉर्थ के वार्ड नंबर 68, जालंधर सेंट्रल के वार्ड नंबर 19, जालंधर वेस्ट के वार्ड नंबर 40 और 43, आबादपुरा के वार्ड नंबर 34, वार्ड नंबर 44 तथा दिलबाग नगर के वार्ड नंबर 56 में पीएसपीसीएल के माध्यम से विभिन्न बिजली संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इनमें ट्रांसफार्मर लगाने और अपग्रेड करने जैसे काम भी शामिल हैं।

दो नशा तस्कर गिरफ्तार

राजपुरा (निस) : पटियाला पुलिस ने दो कथित नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 270 ग्राम हेरोइन, दो लाख रुपये की ड्रग मनी और एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पटियाला के वरिष्ठ पुलिस कप्तान हरमनदीप सिंह हांस ने बताया कि पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए रोहित कुमार गागट निवासी न्यू बिशन नगर, थाना लाहौरी गेट, पटियाला और विनोद कुमार उर्फ गंजा निवासी शहीद भगत सिंह कॉलोनी, बन्ना बिशन नगर, थाना लाहौरी गेट, पटियाला को गिरफ्तार किया है।

डेढ़ लाख कर्मचारियों की वरिष्ठता पर जगी आस

शिमला, 3 नवंबर (हप्र)

हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता और वित्तीय लाभ का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश सरकार ने इसकी अनुपालना के लिए कवायद तेज कर दी है। अनुबंध सेवा को वरिष्ठता में शामिल करने का लाभ मिला तो करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों की सेवा संबंधी गणना प्रभावित हो सकती है। प्रदेश सचिवालय में मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, प्रधान सचिव कार्मिक एम. सुधा देवी समेत विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप कार्रवाई और इससे सरकारी खजाने पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय बोझ का आकलन करने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों से समयबद्ध तरीके से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

सरकार लोक सेवा आयोग अथवा राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों, बैचवाइज या सीधे साक्षात्कार के आधार पर भर्ती हुए कर्मचारियों और नियमित किए गए पार्ट टाइम कर्मचारियों का अलग-अलग ब्योरा जुटा रही है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि अदालत के फैसले का किन कर्मचारियों पर कितना प्रभाव पड़ेगा और संभावित देनदारियां कितनी होंगी। कार्मिक विभाग विधि विभाग से परामर्श लेकर आगे के दिशा-निर्देश तैयार कर रहा है। विभागवार रिपोर्ट और कानूनी राय के आधार पर ही लाभ देने की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

लवी मेले में प्रदर्शनियों के लिए स्टॉलों का आवंटन 9 से

रामपुर बुशहर, 3 नवंबर (हप्र)

अंतरराष्ट्रीय लवी मेला-2026 के अवसर पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों के लिए स्टॉलों/प्लॉटों (कनोपियों) के आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला समिति के सचिव एवं उपमंडलाधिकारी रामपुर बुशहर हर्ष अमरेंद्र सिंह द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार लवी मेला ग्राउंड रामपुर बुशहर में 11 से 14 नवंबर 2026 तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा।

प्रदर्शनी में विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और अन्य इच्छुक प्रतिभागियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शनी स्थल पर स्टॉलों का आवंटन 9 नवंबर से प्रारंभ किया जाएगा।

दिवित औलख का अंतिम संस्कार, दिग्गज कलाकार पहुंचे

जालंधर, 3 नवंबर (निस)

हाईवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले स्पीड रिकॉर्ड के मालिक दिनेश औलख के पुत्र दिवित औलख का आज मॉडल टाउन श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार, नेता सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे। पंजाबी कलाकारों में गिप्पी ग्रेवाल, अमृत मान, जैजी बी, रंजीत बाबा, गुरप्रीत सिंह घुग्गी, सतिंदर सरताज और कई बड़े कलाकार पहुंचे। वही कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, पंजाबी कल्चरल विभाग के सलाहकार और कैंट प्रभारी दीपक बाली, भाजपा जिला प्रधान अशोक सरीन हिक्की, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, पूर्व विधायक सर्वजीत सिंह मक्कड़, सिख नेता हरपाल चड्ढा, मॉडल टाउन सांझ मार्केट एसोसिएशन के प्रधान राजीव दुग्गल भी मौजूद रहे।

दीक्षांत समारोह में 648 विद्यार्थियों को मिली डिग्रियां

■ राज्यपाल ने स्नातकों से सामाजिक बदलाव व राष्ट्र निर्माण का वाहक बनने का किया आह्वान

हमीरपुर, 3 नवंबर (निस)


हमीरपुर में दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता एक छात्रा को डिग्री प्रदान करते हुए। -निस

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने मंगलवार को करियर प्वाइंट विश्वविद्यालय, हमीरपुर के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए युवा स्नातकों से आह्वान किया कि वे अपने ज्ञान, कौशल और शिक्षा का उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने तथा राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने के लिए करें। उन्होंने शैक्षणिक ज्ञान को सामाजिक आवश्यकताओं और राष्ट्रीय विकास से जोड़ने के महत्व पर बल दिया। समारोह के दौरान कुल 648 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। इनमें 43 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधियां प्रदान की गईं। वहीं, शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 43 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया, जिनमें 29 छात्राएं और 14 छात्र शामिल रहे। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अनुसंधान, नवाचार और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की पहलों की सराहना की। इनमें 100 गांवों को गोद लेने, 'मेरा गांव मेरा तीर्थ' अभियान तथा ग्रामीण आजीविका, स्वास्थ्य जागरूकता और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयास शामिल हैं। राज्यपाल ने कहा कि सफलता का आकलन केवल अच्छे वेतन, पद या पहचान से नहीं किया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व उद्योग मंत्री कुलदीप धीमान, सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली के अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. डी.एस. राणा तथा प्रसिद्ध हिमाचली लोक गायक करनैल राणा को मानद उपाधियां प्रदान कीं। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. संजीव शर्मा ने विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जबकि प्रति-कुलाधिपति पद्मश्री डॉ. पी.एल. गौतम ने राज्यपाल का स्वागत किया।

प्रकाशक नरेश कौशल व मुद्रक अमित शर्मा द्वारा द ट्रिब्यून ट्रस्ट की ओर से
द ट्रिब्यून प्रेस, सेक्टर 29-सी, चंडीगढ़-160030 से प्रकाशित एवं मुद्रित
कॉपीराइट © द ट्रिब्यून ट्रस्ट, सर्वाधिकार सुरक्षित।
आर.एन.आई. रजि. नंबर 32198/78.
चंडीगढ़ फोन : 2655066, 2655067, 2655068.
सर्कुलेशन : 0172-2670419, विज्ञापन : 0172-2670256-257.
प्रधान संपादक : ज्योति मल्होत्रा
संपादक : नरेश कौशल*
***पी.आर.पी. एक्ट, 2023 के तहत समाचारों के चयन हेतु जिम्मेदार।**

सर्कुलेशन, विज्ञापन बुकिंग तथा अन्य संबंधित जानकारी हेतु कृपया निम्नांकित नंबरों पर सोमवार से शनिवार तक सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच सम्पर्क करें :
सर्कुलेशन :
0172-2670319, 2670250, 2670442
या ई-मेल करें :
Circulation@tribunemail.com
विज्ञापन :
क्लासिफाइड : 0172-2670257, 2670338
या ई-मेल करें :
classified@tribunemail.com
डिस्प्ले : 0172-2670256, 2670342
या ई-मेल करें :
advt@tribunemail.com

पंजाब नेशनल बैंक
...विश्वास का प्रतीक!
एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच (ARMB) एससीओ 60-61, पहली मंजिल, बैंक स्क्वेयर
सेक्टर-17 बी, चंडीगढ़,-160017, ईमेल : cs8214@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए विक्रय सूचना

सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भार का विवरण : ज्ञात नहीं

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतीभूमिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6)/9(1) तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 एवं 9 के प्रावधान के अंतर्गत चल/अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति(यों), जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/पट्टे पर रखी गई है और जिनका रचनात्मक/भौतिक (जो भी लागू हो) कब्जा पंजाब नेशनल बैंक, सुरक्षित ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को बिक्री की तिथि पर ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है, और जो कुछ भी उपलब्ध है'' के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि नीचे उल्लिखित राशि की वसूली पंजाब नेशनल बैंक, सुरक्षित ऋणदाता को नीचे नामिक उधारकर्ता, गिरवीदाता तथा गारंटरों से की जा सके। गिरवीदाता और गारंटर, चल/अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई ज्ञात भार हो, तो नीचे दिया गया है।

QR Code of Baanknet

गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री का शैड्यूल

लॉट नं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / ऋण लेने वाले/ गारंटर के नाम और पते	गिरवी रखी गई अचल संपत्ति का विवरण और स्वामी/ गिरवीदारों के नाम	ए) डिमांड नोटिस की तिथि / बी) बकाया राशि / सी) कब्जा तिथि / डी) कब्जे की प्रकृति	आरक्षित मूल्य / बयाना राशि जमा (ईएमडी) / बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि और समय	सुरक्षित क्रेडिटर के संज्ञान में ऋण भार का विवरण
1	शाखा : एआरएमबी, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़ / **मै. रडेस्को (RDESCO) एग्रो फूड्स** / **मै. रेडिस्को (RDESCO) एग्रो फूड्स,** जिसकी मालिक **श्रीमती अनुपम गर्ग, पंजीकृत कार्यालय :** फ्लैट संख्या सी-42, चौथी मंजिल, उप्पल मार्बल आर्च, मनीमाजरा, चंडीगढ़ पिन-160101, **कार्यस्थल :** फोकल प्वाइंट के सामने, वीपीओ बल्लुआना, मलोट रोड, अबोहर (पंजाब)-152117, **श्रीमती अनुपम गर्ग (प्राप.)** निवासी : फ्लैट संख्या सी-42, चौथी मंजिल, उप्पल मार्बल आर्च, मनीमाजरा, चंडीगढ़ पिन-160101, **श्री राम दयाल गर्ग पुत्र श्री मनोहर लाल (गारंटर)** निवासी : फ्लैट संख्या सी-42, चौथी मंजिल, उप्पल मार्बल आर्च, मनीमाजरा, चंडीगढ़ पिन-160101, **श्री उमेश गर्ग पुत्र श्री राम दयाल गर्ग (गारंटर)** निवासी : फ्लैट संख्या सी-42, चौथी मंजिल, उप्पल मार्बल आर्च, मनीमाजरा, चंडीगढ़ पिन-160101	**Property ID: PUNB23A25683097 फैक्ट्री की जमीन और इमारत का क्षेत्रफल 29 कनाल 16 मरला है, जैसा कि विवरण में दिया गया है। (1)** भूमि का माप 22 कनाल 02 मरला जो रकबा संख्या 129 किल्ला संख्या 4/1(7-14), 7/2 (7-1), 8 (7-7) खेवट संख्या 264 खतौनी संख्या 403 में शामिल है **और (2)** वर्ष 2020-21 की जमाबंदी के अनुसार खेवट संख्या 958 में शामिल कुल 8 कनाल 00 मरला भूमि का 126/131 भाग, 7 कनाल 14 मरला भूमि, जो राजस्व क्षेत्र के भीतर स्थित है। ग्राम बल्लुआना, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का की संपत्ति, विक्रय विलेख संख्या 4186 दिनांक 10.09.2008 के अनुसार श्रीमती अनुपम गर्ग पत्नी श्री राम दयाल गर्ग के नाम पर (दिनांक 04.12.2025 को विनोद कुमार बेरी द्वारा किए गए एनईसी के अनुसार, भूमि क्षेत्र 29 कनाल 15.89 मरला)	a) Date of 13(2): 21.09.2021 b) Rs. 9,07,59,401.37 plus further interest w.e.f. 01.09.2021 plus costs incurred, less recovery, if any C) Date of 13 (4) : 27.01.2022 d) Nature of Possession: Physical Date: 06.08.2024	RP: Rs. 2,13,76,800/- EMD: Rs. 21,37,680/- Bid increase amount Rs. 2,15,000/-	26.11.2026 11:00 AM to 4:00 PM	OA/11 98/2022 PNB V/s M/s Rdesco Agro Food at DRT-2 Chandigarh DRT SA 338/2024 M/s Rdesco Agro V/s PNB at DRT-2, Chandigarh

(उपरोक्त संपत्तियों/परिसंपत्तियों पर लागू होने वाला जीएसटी/टीडीएस यदि कोई हो, सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा)

टिप्पणी : सभी संपत्तियों के लिए संपर्क करें : PUNJAB NATIONAL BANK, AUTHORIZED OFFICER: SH. NARENDER PAL SINGH, CHIEF MANAGER, ARMB, CHANDIGARH, MOB. NO. 8872042230

ई नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें : यह बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी। **1.** ऊपर दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, परन्तु इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए अधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा। **2.** अधिकृत अधिकारी या बैंक, ई-नीलामी की गई संपत्तियों के संबंध में सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को देय किसी भी प्रभार, ग्रहणाधिकार, भार या अन्य किसी भी देय राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति पर मौजूद सभी भारों, जिनमें वैधानिक देनदारियां, संपत्ति का बकाया, बिजली बिल आदि शामिल हैं, के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जांच-पड़ताल कर लें। **3.** सभी वैधानिक देय राशियां/संबंधित शुल्क/अन्य देय राशियां, जिनमें पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, कर आदि शामिल हैं, क्रेता द्वारा वहन की जाएगी। यदि बोलीदाता के नाम पर संपत्ति के पंजीकरण के लिए किसी संपत्ति पहचान पत्र/एनओसी/क्लीयरेंस/अन्य औपचारिकताओं की आवश्यकता है, तो उन औपचारिकताओं और शुल्कों का वहन बोलीदाता को करना होगा। यदि संपत्ति का सांकेतिक कब्जा दिया जाता है, तो संपत्ति का भौतिक कब्जा सौंपना बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी। बिक्री के बाद बैंक केवल संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ही देगा। **4.** इच्छुक बोलीदाता (कों) की यह जिम्मेदारी है कि वे बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी के संचालन संबंधी सहायता पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। **5.** बोली लगाने वाले को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैकअप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। इंटरनेट फेलियर, बिजली फेलियर या तकनीकी कारणों या ई-नीलामी को प्रभावित करने वाली किसी भी बाधा के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। **6.** इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके पोर्टल **https://baanknet.com** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, वे आवश्यक केवाईसी दस्तावेज अपलोड करेंगे। ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद (इसमें 2 या अधिक कार्यदिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन माध्यम से ईएमडी राशि ट्रांसफर करनी होगी। वॉलेट में पर्याप्त ईएमडी होने के बाद ही इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी की तारीख पर बोली लगा सकेंगे। **7.** सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी राशि घटाकर) उसी दिन या अगले कार्यदिवस तक जमा करना होगा और शेष राशि नीलामी की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। **8.** बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया **https://baanknet.com** और **www.pnbindia.in.** देखें या हमारे **कार्यालय, एआरएमबी चंडीगढ़, अधिकृत कार्यालय, इमेल आईडी : cs8214@pnb.bank.in से संपर्क करें।**
एसआरएफएईआई अधिनियम के सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) और 8(6)/9(1) के साथ पढ़े गए नियम 6 और 9 के तहत वैधानिक 15/30 दिन की बिक्री सूचना।

दिनांक : 03.11.2026
स्थान : चंडीगढ़
DI-16393
अधिकृत अधिकारी,
पंजाब नेशनल बैंक, एआरएमबी, चंडीगढ़।